Procedure & Scheme for availing Interest Subsidy for industrial units (Scheme & format)

उद्योगों को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना 2004

1— **शीर्षकः—**

इस योजना का शीर्षक ''उद्योगों को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना—2004'' होगा।

यह योजना नवीन लघु उद्योगों,मध्यम/ वृहद् श्रेणी उद्योग, मध्यम/वृहद् श्रेणी उद्योग में विस्तार करने वाले उद्योग एवं पुर्नवासित इकाई हेतु लागू होगी।

2— **योजना के प्रभावशील होने की अवधिः—**

'' उद्योगों को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना—2004'' दिनांक 1 अप्रैल 2004 को या पश्चात् उत्पादन में आई नवीन लघु उद्योग, मध्यम/ वृहद् श्रेणी उद्योग, मध्यम/ वृहद् श्रेणी उद्योग में विस्तार करने वाले उद्योग, मध्यम/ वृहद् श्रेणी उद्योग की पुर्नवासित इकाई जिनके द्वारा दिनांक 1.4.2004 या उनके पश्चात् उत्पादन प्रारंभ किया हो एवं किसी अन्य संस्था से ब्याज अनुदान या कम दर के ब्याज की विशेष सुविधा प्राप्त न हो या पात्रता न हो, को औद्योगिक दृष्टि से वर्गीकृत अग्रणी (विकसित) जिले, (अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों एवं महिला उद्यमियों एवं हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योग को अग्रणी जिलों में भी पात्रता होगी) को छोड़कर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होगी।

3— **परिभाषायेंः—**

1— **''राज्य शासन''** से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से है।

2— **''उद्योग आयुक्त''** से अभिप्रेत है उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

3— **''डी.टी.आई.सी.''** से आशय होगा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ।

4— **''अनुसूचित जातियों''** से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग उनमें समूह जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5— **''अनुसूचित जनजातियों''** से अभिप्रेत है कोई जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के समूह जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

6— **''औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है, लघु श्रेणी एवं मध्यम/वृहद्ध श्रेणी की औद्योगिक परियोजना, जिसकी स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में पंजीकृत हो या भारत सरकार से आशयपत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट)/लायसेंस/आई.ई.एम.अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया है।

7– **''लघु मध्यम एवं वृहद् औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है भारत सरकार उद्योग मंत्रालय द्वारा समय–समय पर परिभाषित लघु, वृहद् एवं मध्यम उद्योग।

8– **''नई औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में स्थापित औद्योगिक इकाई जिसमें नई औद्योगिक इकाई के रूप में मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में पंजीकृत हो तथा दिनांक 1 अप्रैल 2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो।

9– **''विद्यमान औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है, ऐसी विद्यमान लघु, मध्यम या वृहद् औद्योगिक इकाई, जो दिनांक 1 अप्रैल 2004 के पूर्व से उत्पादनरत् हो।

10– **''विद्यमान इकाई में विस्तार करने वाली इकाई''** से अभिप्रेत है, वह व्यापारी जिसके द्वारा विद्यमान इकाई अंतर्गत अनुमोदित क्षमता का विस्तार किया जाता है या डायवर्सिफिकेशन किये जाकर नवीन आयटम का उत्पादन जाता है। पूर्व स्थापित उद्योगों द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत के तुल्य नया स्थायी पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाईयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत किये गये पूंजी निवेश पर नई इकाईयों के समान **''उद्योग टर्मलोन पर ब्याज अनुदान''**दी जायेगी, किन्तु विद्यमान इकाई में प्लांट एवं मशीनरी मद में कम से कम 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त पूंजी निवेश अनिवार्य होगा साथ ही इकाई द्वारा अपनी औसत उत्पादन क्षमता, जो कि विगत् तीन वर्षों के उत्पादन के आधार पर आंकलित की जायेगी, से अतिरिक्त उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जावेगा। जिन इकाईयों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया हो, उन्हें विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

11– **''वित्तीय संस्था''** से अभिप्रेत है, केन्द्रीय सहकारी बैंक या शाखा, मध्यप्रदेश वित्त निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य वित्तीय संस्था जो राज्य शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान हेतु अधिकृत करें ऐसी वित्तीय संस्था जो मध्यप्रदेश में स्थापित होने वाले नवीन लघु उद्योग, मध्यम/ वृहद् श्रेणी उद्योग, मध्यम/ वृहद् श्रेणी उद्योग में विस्तार करने वाले उद्योग, लघु/वृहद् श्रेणी उद्योग, की पुर्नवासित इकाई को टर्मलोन दिये हो।

12– **''शून्य उद्योग विकासखण्ड''** से अभिप्रेत है, ऐसा विकासखण्ड जिसमें दिनांक 1 अप्रैल 2004 को कोई मध्यम या वृहद् उद्योग स्थापित न हो या राज्य शासन समय–समय पर परिभाषित करे''।

13– **''अग्रणी (विकसित) जिलों या पिछड़ा 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी के जिलों''** से अभिप्रेत है जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाये।

14– **''खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों''** से अभिप्रेत मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी की जाने वाली सूची से है।

15– **''हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योगों''** से अभिप्रेत है, ऐसी औषधी या उत्पाद जिनका निर्माण खनिज पदार्थों,धातु/अधातु, वनस्पति या जड़ी–बूटी इत्यादि से किया गया हो।

16– **''टर्मलोन''** से अभिप्रेत है स्थिर आस्तियों हेतु मियादी ऋण से है।

स्पष्टीकरण—स्थिर आस्तियों में निम्नानुसार मदों के पूंजी सम्मिलित होगें:—

(क) **लघु, मध्यम तथा वृहद् औद्योगिक इकाई के संबंध में स्थिर आस्तियों में ऋण के मद निम्नानुसार हैः—**

(एक) भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत संस्थापनाएं और प्रदूषण निवारण उपस्करों में प्रस्तावित निवेश।

(दो) प्रयोगशाला, अनुसंधान तथा प्रशासकीय भवन पर प्रस्तावित निवेश।

(तीन) प्रयोगशाला तथा अनुसंधान के लिए मशीनरी तथा उपकरण पर प्रस्तावित निवेश।

(चार) रेल्वे साइडिंग के निर्माण पर प्रस्तावित निवेश।

(पांच) गोदाम, स्टोरेज टैंक आदि पर प्रस्तावित निवेश।

4— योजना की प्रभावशीलता एवं विस्तारः—

उद्योग को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना की प्रभावशीलता स्वामित्व/भागीदार उद्योग, प्रायवेट सेक्टर, सहकारिता क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र की कंपनी/उपक्रम जो भारत सरकार या राज्य शासन के अधीन में न हो, द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2004 को या उसके पश्चात् मध्यप्रदेश में नवीन लघु उद्योग की स्थापना तथा वृहद् एवं मध्यम कार्यरत् उद्योगों के विस्तार, डायवर्सिफिकेशन तकनीक उन्नयन के लिए है।

5— इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यह नेगेटिव लिस्ट उद्योग संवर्धन नीति 2004 वर्णित कतिपय उद्योगों को शामिल करके विभाग द्वारा जारी की जावेगी ।

6— टर्मलोन पर ब्याज अनुदान की मात्रा एवं अवधिः—

ब्याज अनुदान की मात्रा एवं अवधि प्रथम टर्मलोन के भुगतान दिनांक से निम्नानुसार होगीः—

जिले की श्रेणी	ब्याज अनुदान राशि (लाखों में)		
	अनुदान की अधिकतम राशि	अवधि	छूट की दर
पिछड़ा 'अ'	10.00	5 वर्ष	3 प्रतिशत
पिछड़ा 'ब'	15.00	6 वर्ष	4 प्रतिशत
पिछड़ा 'स'	20.00	7 वर्ष	5 प्रतिशत
शून्य उद्योग विकासखण्ड (एन. आई.बी.)	20.00	7 वर्ष	5 प्रतिशत

(अ) उद्योग विहीन विकासखण्ड में यह सुविधा 'स' श्रेणी के जिलों के अनुरूप दी जावेगी।

(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमी एवं महिला उद्यमियों को ब्याज अनुदान बिना किसी अधिकतम सीमा एवं जिलों की श्रेणी के 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(स) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान की पात्रता जिले की श्रेणी अनुसार होगी।

(द) हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योग सामान्यतः अग्रणी (विकसित) जिलों में स्थापित होने की संभावना है जैसे कि जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल जिले। अतः ऐसे सभी अग्रणी (विकसित) जिलों में स्थापित होने वाले हर्बल एवं आयुर्वेदिक उद्योगों को पिछड़ा जिला श्रेणी 'अ' की तरह ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

(इ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) संदर्भित बीमार वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित कर अथवा क्रय कर पुनर्वासित करने पर बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिसमापन मत के उपरांत लिक्वीडेशन में लंबित उद्योग तथा राज्य शासन के निगमों एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित करने के पश्चात् अन्य इकाई या कंपनी को विक्रय करने पर यदि पुनर्वासित इकाई के स्थायी पूंजी निवेश में अधिग्रहणकर्ता/क्रयकर्ता द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2004 को या उसके पश्चात् किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होता है, तो उसे अतिरिक्त पूंजी निवेश पर नवीन इकाई को दी जाने वाली जिले की श्रेणी के लिए निर्धारित उपरोक्तानुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

(फ) ऐसी बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा इकाई को बीमार लघु उद्योग इकाई के लिए पुनर्वास योजना स्वीकृत करने के उपरांत पुनर्जीवन पैकेज के अंतर्गत नवीन टर्मलोन चाहती है तो उसे उपरोक्तानुसार जिले की श्रेणी के लिए निर्धारित ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

7— ब्याज अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रियाः—

उद्योगों को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु वित्तीय संस्था द्वारा **परिशिष्ट "1"** पर संलग्न प्रपत्र में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को क्लेम प्रेषित करेंगे। उद्योगों को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान वित्तीय संस्था से प्राप्त टर्मलोन के नियमित किश्त अदायगी एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर ही देय होगी।

8— ब्याज अनुदान स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया एवं सामान्य शर्तेः—

अ— वित्तीय संस्था से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इस योजना अंतर्गत क्लेम प्राप्त होने के पश्चात् औद्योगिक इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का सत्यापन कराने के उपरांत अनुदान राशि स्वीकृत कर उपलब्ध आवंटन की राशि से वित्तीय संस्था को संबंधित इकाई के टर्मलोन पर ब्याज की राशि में समायोजित करने हेतु भुगतान किया जावेगा।

ब– इस योजना में मार्गदर्शन/व्याख्या उद्योग आयुक्त द्वारा किया जावेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

9– निरसन एवं व्यावृत्तिः–

उद्योगों को टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना–2004 दिनांक 1 अप्रैल 2004 को या उसके पश्चात् उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर लागू होगी। दिनांक 1 अप्रैल 2004 के पूर्व उत्पादन करने वाली इकाईयों को पूर्व नियम प्रभावशील रहेंगे।

नोटः– ब्याज अनुदान योजनांतर्गत ऐसी इकाइयॉ जोकि अपात्र सूची में शामिल नहीं हैं, के द्वारा ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी वित्तीय संस्था को अनुरोध करने पर वित्तीय संस्था द्वारा निम्न प्रपत्र पर त्रैमासिक ब्याज अनुदान का क्लेम जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाता है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा नियमानुसार ब्याज अनुदान राशि इकाई के पक्ष में स्वीकृत कर संबंधित वित्तीय संस्था को इकाई के ऋण/ब्याज में समायोजित करने हेतु प्रदाय की जाती है।

ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अपात्र उद्योगों की सूची
(पुनरीक्षित)
(उद्योग संवर्धन नीति–2004 की कंडिका क्र. 4.2.1 के अंतर्गत)

1– फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
2– ऑईल मिल
3– दाल मिल
4– राइस मिल, राइस हॉलिंग पारबॉयलिंग ऑफ पैडी, पोहा, मुरमुरा
5– कागज बनाने वाले कारखाने (बगास पर आधारित उद्योगों को छोड़कर)
6– सभी प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस,
7– कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रीज
8– आईस फैक्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज
9– बियर निर्माण, पोटेबल अल्कोहल, इण्डस्ट्रीयल अल्कोहल का निर्माण
10– टेलरिंग
11– कारपेंट्री, लकड़ी की चिराई, आरा मिल, सभी प्रकार के लकड़ी के आयटम्स
12– ड्राईक्लिनिंग
13– रस्सी का निर्माण
14– बुक बाईंडिंग
15– पेपर बैग्स
16– रबर स्टाम्प मेकिंग
17– एक्सरसाईज नोटबुक्स का निर्माण
18– लिफाफों का निर्माण
19– बेकरी प्रोडक्ट्स एण्ड बिस्किट्स
20– पोल्ट्री, केटलफीड, पोल्ट्रीफीड
21– कन्फेक्शनरी
22– मिठाई, नमकीन सामग्री बनाना, मसाले तैयार करना
23– फोटोस्टेट कार्य
24– क्लिनिकल–पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी
25– डाटा प्रोसेसिंग
26– फायर वर्क्स मेन्युफेक्चरिंग
27– ब्युटी पार्लर
28– स्कोअरिंग
29– होजियरी
30– पत्तल एवं दोना निर्माण
31– बोरवेल एवं ट्यूबवेल ड्रिलिंग
32– हायब्रिड सीड निर्माण
33– गेस्टहाऊस, होटल, हाऊस बोट
34– शू–पेटर्न्स एवं मोल्ड मेकिंग

35– स्मोकलेस फ्यूल मेन्युफेक्चर, कोक मेकिंग
36– कार्क मेकिंग
37– ब्रास/कापर प्लेट एवं सर्कल मेन्युफेक्चर
38– सभी प्रकार के लेमिनेशन (जूट बैग्स के लेमिनेशन को छोड़कर)
39– स्टील क्लीप का निर्माण
40– पेपर से बनी वस्तुएं जैसे–पेपर ट्यूब
41– फिशिंग नेट मेकिंग
42– स्टोन क्रशिंग एवं गिट्टी निर्माण
43– सभी प्रकार के प्रिटिंग कार्य (हेण्डक्राफ्ट प्रिटिंग को छोड़कर)
44– इलेक्ट्रीकल जॉबवर्क्स
45– इलेक्ट्रीकल कंट्रोल पेनल असेम्बली
46– टायर रिट्रेडिंग जॉबवर्क्स
47– रिकंडिशनिंग एण्ड सर्विसिंग आफ आटो इंजिन्स
48– वुड वूल इन्सुलेशन बोर्ड
49– रीट्रिडिंग आफ इण्डस्ट्रीयल आटोमोबाईल माल्डेड प्रोडक्ट एण्ड रबर होजेस
50– डिस्टिल वाटर का निर्माण (स्वतंत्र इकाई)
51– प्लेयिंग कार्ड का निर्माण
52– प्रिंटिंग आफ एल.डी.पी. एण्ड एच.डी.पी बैग्स
53– लाईम पावडर, लाईम चिप्स एण्ड डोलोमाईट पावडर का निर्माण
54– ग्राइंडिंग ऑफ मिनरल (स्वतंत्र इकाई)
55– साफ्ट ड्रिंक मेकिंग एवं बॉटलिंग
56– स्लॉटर हाउस
57– एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स मेकिंग व बाटलिंग (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर)
58– तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद
59– मदिरा
60– पान मसाला
61– गुटखा
62– अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जावें।

नोट– रूपये 1.00 करोड़ से अधिक स्थायी पूॅंजी वैष्ठन करने वाली इकाई, यदि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 की सुविधा नहीं चाहती है, तो ही इस योजना में लाभ ले सकेगी।

2– किसी पात्र औद्योगिक इकाई को ब्याज अनुदान योजना के साथ उद्योग स्थायी निवेश अनुदान योजना का लाभ तो प्राप्त हो सकता है किन्तु ऐसी इकाई उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 की पात्रता नहीं रखेगी।

3– रूपये 1.00 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी वैष्ठन करने वाली इकाई को यह विकल्प देना होगा कि वह केवल उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 की

सुविधा का लाभ लेना चाहती है अथवा इसके विकल्प के रूप में उद्योग स्थायी निवेश अनुदान योजना एवं टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ लेना चाहती है। एक बार विकल्प लिये जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

4— नवीन उद्योग नीति में प्रावधानानुसार डायवर्सीफिकेशन/क्षमता विस्तार/तकनीकी उन्नयन किये जाने पर देय सुविधा हेतु भी उपरोक्त सूची लागू होगी।